पटना में दिनांक–13 जुलाई, 2023 वृहस्पतिवार को अपराह्न 5:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

ऊर्जा विभाग

1.	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं०लि० के अंतर्गत 02 अद्द 220 के०वी० एवं 06 अद्द 132 के०वी० संचरण लाईनों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (R&M) के तहत रिकंडक्टरिंग करने हेतु कुल 297.66 करोड़ (दो सौ संतानवे करोड़ छियासठ लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

2.	श्री ठाकुर रविशंकर प्रसाद सिंह, (बिहार कृषि सेवा कोटि–7 (उद्यान), वर्ग–2) तत्कालीन सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी सम्प्रति सहायक निदेशक उद्यान, अरवल के विरूद्ध वर्ष 2015–16 में ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट योजना में अनियमितता से संबंधित प्रमाणित आरोप के परिपेक्ष्य में सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

3.	श्री प्रेम प्रकाश (आई०डी०–5277), तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, झंझारपुर संप्रति सेवा से बर्खास्त से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए "सेवा से बर्खास्तगी" संबंधी अधिरोपित दण्ड को बरकरार रखने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

परिवहन विभाग

4.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के फुलवारीशरीफ स्थित भूमि में गैस अथौरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) को सी०एन०जी० स्टेशन की स्थापना हेतु भुगतान के आधार पर 1.5 एकड़ भूमि के हस्तान्तरण की स्वीकृति हेतु निर्गत परिवहन विभाग की अधिसूचना सं०–467, दिनांक–14.01.2019 को निरस्त करते हुए गेल इंडिया के मांग के अनुसार 683 वर्गमीटर भूमि 2,31,96,250.00 (दो करोड़ एकतीस लाख छियानबे हजार दो सौ पचास) रूपये एकमुश्त सलामी एवं 11,59,813.00 (ग्यारह लाख उनसठ हजार आठ सौ तेरह) रूपये वार्षिक व्यवसायिक लगान के भुगतान के शर्त्त के अधीन 30 वर्षो के लीज पर बंदोबस्ती की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

	सामान्य प्रशासन विभाग		
5.	बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता (संशोधन) नियमावली, 2023 की स्वीकृति।	**5.**	**स्वीकृत।**
	सामान्य प्रशासन विभाग		
6.	श्रीमती संगीता रानी, अनिवार्य सेवानिवृत सब जज–सह–ए०सी०जे०एम०, मंझौल, बेगूसराय को सेवा में बहाल करने की स्वीकृति।	**6.**	**स्वीकृत।**
	वित्त विभाग		
7.	पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों /पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक– 01.01.2023 के प्रभाव से 396% के स्थान पर 412% महंगाई भत्ता/ राहत की स्वीकृति के संबंध में।	**7.**	**स्वीकृत।**
	वित्त विभाग		
8.	षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2023 के प्रभाव से 212% के स्थान पर 221% महंगाई भत्ता/ राहत की स्वीकृति के संबंध में।	**8.**	**स्वीकृत।**
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		
9.	"बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्–वैज्ञानिक संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023" की स्वीकृति के संबंध में।	**9.**	**स्वीकृत।**
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		
10.	"बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्–अभियंत्रण संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023" की स्वीकृति के संबंध में।	**10.**	स्वीकृत।
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		
11.	"बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्–विशेषज्ञ संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023" की स्वीकृति के संबंध में।	**11.**	**स्वीकृत।**
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		
12.	"बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्–प्रयोगशाला सहायक संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023" की स्वीकृति के संबंध में।	**12.**	स्वीकृत।

उद्योग विभाग

13. बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा मुख्यमंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग योजना के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू० 10.00 करोड़ (दस करोड़) मात्र सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **13.** स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

14. भारत छोड़ो आन्दोलन में पूर्णियाँ जिलान्तर्गत धमदाहा थाना में 25 अगस्त, 1942 को भारतीय तिरंगा फहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए 15 (पन्द्रह) स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में प्रखण्ड मुख्यालय धमदाहा के शहीद स्मारक स्थल पर प्रतिवर्ष 25 अगस्त को राजकीय समारोह मनाये जाने के संबंध में। — **14.** स्वीकृत।

उद्योग विभाग

15. मेसर्स यू०ए०एल० इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामपुर, महुआ, वैशाली को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली –2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — **15.** स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

16. समाधान यात्रा की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य के कुल 4 (चार) उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 71453.875 लाख (सात सौ चौदह करोड़ तिरपन लाख सत्तासी हजार पाँच सौ) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय (यथा संलग्न परिशिष्ट–I) पर योजनावार पृथक–पृथक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **16.** स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

17. मीठापुर–सिपारा–महुली–पुनपुन तक रेलवे लाईन के पूरब में मीठापुर से सिपारा (सिपारा में 2 Way ROB सहित) 4–लेन एलिभेटेड पथ (लंबाई–2.100 कि०मी०) एवं रामगोविन्द सिंह महुली हॉल्ट से पुनपुन (लक्ष्मण झूला) तक 4–लेन एटग्रेड पथ (लंबाई–2.200 कि०मी०), परियोजना की कुल लंबाई 4.30 कि०मी० के निर्माण कार्य हेतु कुल ₹ 43714.66829 लाख (चार सौ सैतीस करोड़ चौदह लाख छियासठ हजार आठ सौ उनतीस) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **17.** स्वीकृत।